



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-02052023-245578
CG-DL-W-02052023-245578

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 7] नई दिल्ली, अप्रैल 23—अप्रैल 29, 2023, शनिवार/ वैशाख 3—वैशाख 9, 1945
No. 7] NEW DELHI, APRIL 23—APRIL 29, 2023, SATURDAY/VAISAKHA 3—VAISAKHA 9, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल 2023

का.नि.आ. 64.—केंद्र शासन प्रादेशिक सेना नियमावली, 1948 में निम्नलिखित सुधारणा करती है: -

- (1) यह नियम प्रादेशिक सेना (संशोधित) नियमावली, 2023 के शीर्षक से सम्बोधित होंगे।
(2) यह नियम भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने वाली तिथि से प्रभाव में आएंगे।
- प्रादेशिक सेना नियम, 1948 में अनुच्छेद 25(a) में निम्नलिखित सुधारित अनुच्छेद परिवर्तित किये जाएंगे: -

For

25(a) वेतनवृद्धि हेतु सेवा का समायोग – प्रादेशिक सेना अधिनियम की धारा (7) (3) (a), (b) एवं (c) के अन्तर्गत प्रदान की गई समस्त कमिशन सेवा, वेतनवृद्धि हेतु सम्मिलित की जाएगी।

Read

25(a) वेतनवृद्धि हेतु सेवा का समायोग – प्रादेशिक सेना अधिनियम की धारा (7) (3) (a), (b) एवं (c) के अन्तर्गत प्रदान की गई समस्त कमिशन सेवा, वेतन वृद्धि हेतु सम्मिलित की जाएगी। किंतु कमिशन – पूर्व प्रशिक्षण कि अवधि को प्रादेशिक सेना अधिनियम (7) (3) में उल्लेखित प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[फ़ा. सं. 84881/जन/टीए -4]

सुदर्शन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th April, 2023

S.R.O. 64.—The Central Government hereby makes the following Regulations further to amend the Territorial Army Regulations, 1948, namely: -

1. (1) These Regulations may be called the Territorial Army (Amendment) Regulations, 2023.
- (2) They shall come in force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Para 25 (a) of TA Regulations, 1948 (Revised Edition-1976)**

For

25.(a) Counting of Service for Increments of Pay- For purpose of increments of pay, officers will be permitted to count all commissioned service in the Territorial Army under Sec 7(3)(a)(b) & (c) of the Act.

Read

25.(a) Counting of Service for Increments of Pay- For purpose of increments of pay, officers will be permitted to count all commissioned service in the Territorial Army under Sec 7(3)(a)(b) & (c) of the Act. **The training period during the Pre-Commissioning Training, however, shall not be counted for the said purpose in terms of the training, as given in Sec 7(3).**

[F. No. 84881/Gen/TA-4]

SUDERSHAN KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल 2023

का.नि.आ 65.—प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 के धारा 14 द्वारा प्रदान अधिकारों के अंतर्गत केंद्र शासन प्रादेशिक सेना नियम, 1948 में निम्नलिखित सुधारणा करती है: -

1. (1) यह नियम प्रादेशिक सेना (संशोधित) नियम, 2023 के शीर्षक से सम्बोधित होंगे।
- (2) यह नियम भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने वाली तिथि से प्रभाव में आएंगे।
2. प्रादेशिक सेना नियम, 1948 (जो अतपश्चात 'कथित नियम' के शीर्षक से संबोधित होंगे) के नियम 18 में निम्नलिखित सुधारित अनुच्छेद परिवर्तित किये जाएंगे: -

“18 सामरिक प्रशिक्षण – प्रादेशिक सेना की इकाइयों में निम्नलिखित प्रशिक्षण होगा: -

- (a) नवरोहण प्रशिक्षण
- (b) वार्षिक प्रशिक्षण;
- (c) कमिशन-पूर्व प्रशिक्षण
- (d) कमिशन-पश्चात प्रशिक्षण

(e) स्वयंसेवी प्रशिक्षण

(f) स्थायी कर्मचारी के रूप में दी गई सेवाएं

किंतु कमिशन-पश्चात प्रशिक्षण केवल विभागीय प्रादेशिक सेना के अधिकारियों को प्रदान की जाएगी।”

3. कथित नियम 20A में निम्नलिखित सुधारित अनुच्छेद परिवर्तित किये जाएंगे।

“20A. अविभागीय प्रादेशिक सेना इकाईयों के प्रत्याशियों को प्रदान किया कमिशन-पूर्व प्रशिक्षण: -

(1) प्रादेशिक सेना में कमिशन प्रति हेतु नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति प्रादेशिक सेना के महानिदेशक अथवा अतिरिक्त महानिदेशक के आदेशानुसार रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्देशित प्रशिक्षण संस्थान में अधिकतम तेईस सप्ताह की कालावधि के लिये कमिशन – पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित होंगे।

(2) उपनियम (1) में निर्धारित कमिशन – पूर्व प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण के पश्चात ही प्रत्याशियों को प्रादेशिक सेना में कमिशन प्रदान किया जाएगा।

(3) कमिशन-पूर्व प्रशिक्षण के समय प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक हेतु से जिसमें कमिशन – पश्चात दिया जाने वाला इक्कीस दिनों का अवकाश भी सम्मिलित है, उस प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित हो रहे जेंटलमैन या जेंटलवुमैन, जो यथोचित हो, प्रशिक्षुओं के समान माना जायेगा;

“किंतु प्रादेशिक सेना के महानिदेशक / अपर महानिदेशक के मतानुसार सेना मुख्यालय चयन बोर्ड (ASB) के माध्यम से चयन होकर कमिशन प्राप्त करने वाले पूर्व अधिकारी सशस्त्र बलों के अपने पूर्व सेवा काल में यदि पर्याप्त सामरिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं तो उन्हें उपरोक्त मिशन – पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित होने में छूट मिल सकती है।”

(4) कथित नियमों के नियम 22 में, “नियम 20, नियम 20A “इन शब्द, संख्या एवं आकृतियों के स्थान पर “नियम 20 “ नामक शब्द एवं संख्या परिवर्तित किये जाएंगे।

(5) कथित नियमों के नियम 23 में “इस कानून के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति” नामक शब्दों के स्थान पर “कमिशन-पूर्व प्रशिक्षण लेने में कार्यरत व्यक्तियों के अतिरिक्त इस कानून के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक व्यक्ति “ नामक शब्दों को परिवर्तित किया जाएगा।”

[फा. सं. 84881/जन/टीए -4]

सुदर्शन कुमार, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रादेशिक सेना नियम, 1948 भारत के राजपत्र संभाग II, धारा 4 में का. नि. आ. 252A, दिनांक 12 फरवरी 1949 को प्रकाशित किये गये तथा का. नि. आ. 69 दिनांक 06 सितंबर 2017 को अन्तिम समय सुधारित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2023

S.R.O. 65.—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Territorial Army Act, 1948, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Territorial Army Rules, 1948, namely: -

1. (1) These rules may be called the Territorial Army (Amendment) Rules, 2023.
- (2) They shall come in force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Territorial Army Rules, 1948 (herein after referred to as the said rules), for rule 18, the following rule shall be substituted, namely :-

“18. **Military training.**—Military training for Territorial Army unit shall consist of the following namely:-

- (a) **Recruit Training;**
- (b) **Annual Training;**

- (c) Pre-Commission Training;
- (d) Post-Commission Training;
- (e) Voluntary Training; and
- (f) Service on the permanent staff.

Provided that Post-Commission Training shall be given only for Departmental Territorial Army officers”.

3. For rule 20A of the said rules, the following rule shall be substituted, namely: -

“20A. Pre-Commission Training for candidates appointed to non-Departmental Territorial Army units:-

(1) Every person appointed for Territorial Army commission shall undergo Pre-Commission Training, under the orders of the Director General or Additional Director General of Territorial Army for a total period not exceeding twenty-three weeks, in a training institute as may be specified by the Ministry of Defence for this purpose.

(2) A candidate shall be commissioned in the Territorial Army only on successful completion of the Pre Commission training referred to in sub-rule (1).

(3) During the Pre-Commission Training, a person shall be treated at par with a gentleman or gentlewoman cadet, as the case may be, of the training institute where such person undergoes training, for all purposes including post commissioning leave for a duration of twenty-one days:

“Provided that Ex-officers commissioned in Territorial Army through the Army Headquarters Selection Board (ASB), may be exempted from undergoing Pre-Commission Training, if, in the opinion of the Director General or Additional Director General of Territorial Army, such officers have undergone adequate Military Training in their previous service in the Armed Forces”.

4. In rule 22 of the said rules, for the words, figures and letter “rule 20, rule 20-A”, the word and figures “rule 20” shall be substituted.

5. In rule 23 of the said rules, in clause (a), for the words “Every person subject to the Act, shall”, the words “Every person subject to the Act, other than the persons undergoing Pre-Commission Training, shall” shall be substituted.

[F. No. 84881/Gen/TA-4]

SUDERSHAN KUMAR, Under Secy.

Note : The Territorial Army Rules, 1948 were published in the Gazette of the India, Part II, section 4 vide S.R.O. -252A, dated, the 12 February, 1949, and was last amended vide S.R.O. - 69 dated the 6th September, 2017.